

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

प.9(2)पद सृजन/गृह-10/2019

जयपुर, दिनांक 15.06.2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.9(2)पद सृजन/गृह-10/2019 दिनांक 14.05.2020 के द्वारा सृजित पुलिस जिला भिवाड़ी में अभियोजन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सहायक निदेशक अभियोजन भिवाड़ी का एक नवीन पद सृजित किया गया है। नवसृजित सहायक निदेशक अभियोजन भिवाड़ी हेतु सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर जिले के कार्यालय के क्षेत्राधिकार का विभाजन गृह (गुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 27(1) गृह-2/2019 दिनांक 16.08.2019 के क्रम में एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क.स	पदनाम	सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर के कार्यालय हेतु पद	सहायक निदेशक अभियोजन, भिवाड़ी के कार्यालय हेतु पद
1	सहायक निदेशक अभियोजन	02	01
2	अभियोजन अधिकारी	06	08
3	सहायक अभियोजन अधिकारी	16	09
4	सूचना सहायक	01	-
5	कनिष्ठ लेखाकार	01	-
6	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	01
7	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	02	02
8	वरिष्ठ सहायक	07	09
9	कनिष्ठ सहायक	17	10
10	जमादार	01	-
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23	18
	योग	77	58

नोट:- कनिष्ठ लेखाकार एवं सूचना सहायक सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर के साथ-साथ सहायक निदेशक अभियोजन, भिवाड़ी के कार्यालय का कार्य भी संपादित करेंगे।

आज्ञा से,




(पी.सी.बेरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस (अपराध) राज, जयपुर।
2. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक, अलवर/भिवाड़ी।
5. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।
6. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।


(राजेन्द्र सिंह राठौड़)
अनुभागाधिकारी
15.06.2020